न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

मि.न. 01/2018(जी.सी.एम.एस. 2018/00063) व इजलास श्री रवि कुमार गोयल

(R.A.S)

उनवान

देवीराम पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी बंधाचौथ तहसील व जिला डीग(राज0)

—अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बंधाचौथ पंचायत समिति डीग जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बंधाचौथ(डीग)
2. रूपवती पुत्री तेजसिंह जाति जाट निवासी अऊ गेट कस्बा डीग तहसील डीग
3. राजवती पुत्री तेज सिंह पत्नी धारा सिंह जाति जाट निवासी अऊ गेट कस्बा डीग तह0डीग
4. रूपचन्द पुत्र तेज सिंह जाति जाट निवासी बंधाचौथ तहसील डीग

—रैस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट विरूद्व आदेश नामा0 संख्या 587 दिनांक 21.11.2016,नामा0 संख्या 776 दिनांक 21.11.2018 ग्राम पंचायत बंधाचौथ पंचायत समिति डीग

निर्णय

दिनांक: 24.01.2024

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस आशय के साथ पेश की गई है कि रैस्पो0 संख्या 2,3,4 एवं अपीलार्थी रिश्ते में सगे भाई वहिन है और रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 ने अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी स्थित ग्राम बंधाखालसा बंधाचौथ की आराजी बावत रिलीजडीड अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 27.06.2016को स रजिस्ट्रार डीग के समक्ष निष्पादित कराई गई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी ने उक्त रिलीजडीड को ग्राम बंधाखालसा,ग्राम बंधाचौथ की भूमि पर उक्त रिलीजडीड दिनांक 27.06.2016 के आधार पर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किये थे और ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.11.2016को नामा0 संख्या 776 बंधाचौथ की आराजी पर एवं नामा0 संख्या 587 ग्राम बंधा खालसा की आराजी पर दिनांक 21.11.2016 को स्वीकार किया गया था और ग्राम पंचायत द्वारा नामा0 संख्या 587 ग्राम बंधा खालसा एवं नामा0 संख्या 776 ग्राम बंधाचौथ की आराजी पर केवल रैस्पो0 संख्या 02 व 03 की आराजी का नामा0 रिलीजडीड दिनांक 27.06.2016 के आधार पर खोला गया था और रैस्पो0 संख्या 4 रूपचन्द की आराजी का नामा0 रिलीजडीड के आधार पर अपीलार्थी के नाम नहीं खोला गया था। अपीलार्थी को उक्त नामा0 संख्या 776 एवं 587 में रैस्पो0 संख्या 04 की आराजी का नामा0 अपीलार्थी के नाम नहीं चढने की जानकारी दिनांक 16.06.2018को हुई थी। ग्राम पंचायत बंधाचौथ का आदेश दिनांक 21.11.2016 बावत नामा0 संख्या 587 एवं 776 प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों एवं रिकार्ड के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 ने स्थित ग्राम बंधाचौथ एवं बंधाखालसा की आराजी जोकि रिलीजकर्ताओं को उनकी माता प्रेमवती एवं उनके चाचा नत्थी उर्फ नत्थी सिंह से जरिये विरासतन प्राप्त हुई। उक्त आराजी के साथ—साथ

उपखण्ड अधिकारी
डीग

ग्राम वरई एवं ग्राम नगला खोह की भूमि की रिलीजडीड दिनांक 27.06.2016 को अपीलार्थी के पक्ष में सब रजिस्ट्रार डीग के समक्ष उपस्थित होकर तस्दीक कराई। ग्राम पंचायत द्वारा रैस्पो0 संख्या 01 व 02 रूपवती एवं राजवती के हिस्सा की आराजी का नामा0 अपीलार्थी के पक्ष में कर दिया गया था,परन्तु बंधाचौथ पटवारी द्वारा रैस्पो0 संख्या 04 रूपचन्द की आराजी का नामा0 उक्त नामा0 संख्या 587 एवं 776 की आराजी में दर्ज नहीं किया और उक्त नामा0 में रूपचन्द की आराजी का नामा0 अपीलार्थी के नाम खुलने से रह गया। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बंधाचौथ पंचायत समिति डीग तहसील डीग द्वारा दिनांक 21.11.2016को स्वीकृत नामा0 संख्या 587 एवं 776 को अपास्त किया जाकर उक्त नामा0 को ग्राम पंचायत को रूपचन्द की आराजी रिलीजडीड दिनांक 27.06.2016 के आधार पर अपीलार्थी के नाम चढाने हेतु रिमाण्ड की जावे।

अपील अपी0दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पो0 को जरिये नोटिस तलब कियाग गया। दिनांक 12.03. 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपीलार्थी एवं रैस्पो0 के द्वारा संयुक्त रूप से राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा में वर्णित किया गया कि "अपील में अपीलार्थी एवं रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 के दरम्यान गॉव में मॉजूद व्यक्तियों ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर मुझ अपीलार्थी एवं रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 के दरम्यान राजीनामा इस प्रकार करा दिया है कि जो आराजी रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 ने अपीलार्थी के पक्ष में जरिये रिलीजडीड दिनांक 27.06.2016 को हस्तांतरण की थी और उक्त रिलीजडीड के आधार पर नामा0 संख्या 587 दिनांक 21.11.2016 एवं नामा0 संख्या 776 दिनांक 21.11.2016 से रैस्पो0 संख्या 02 व 03 रूपवती एवं राजवती के हिस्से की आराजी अपीलार्थी के नाम आ गई थी। उक्त दोनों नामा0 संख्या 587 एवं 776 में रैस्पो0 संख्या 4 रूपचन्द के हिस्से की आराजी का नामा0 हकत्याग(रिलीजडीड) दिनांक 27.06.2016 से अपीलार्थी के नाम आने से रह गयी थी। रैस्पो0 संख्या 04 रिलीजडीड दिनांक 27. 06.2016 से अपने हिस्से की आराजी को अपीलार्थी के हक में हकत्याग कर चुका था और रैस्पो0 संख्या 4 द्वारा हकत्याग की गई आराजी का नामा0 संख्या 587 एवं 776 दिनांक 21.11.2016 से अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं हुए थे। मुताविक राजीनामा नामा0 संख्या 587 दिनांक 21.11.2016 एवं 776 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त कर पुनः ग्राम पंचायत के लिये रिमाण्ड करने में रैस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।"

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील अपी0 की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया।

अपीलार्थी एवं रैस्पो0 के द्वारा दिनांक 12.03.2022को प्रस्तुत संयुक्त रूप से राजीनामा में स्पष्ट अंकित किया गया है कि रिलीजडीड के आधार पर नामा0 संख्या 587 दिनांक 21.11.2016 एवं नामा0 संख्या 776 दिनांक 21.11.2016 से रैस्पो0 संख्या 02 व 03 रूपवती एवं राजवती के हिस्से की आराजी अपीलार्थी के नाम आ गई थी। उक्त दोनों नामा0 संख्या 587 एवं 776 में रैस्पो0 संख्या 4 रूपचन्द के हिस्से की आराजी का नामा0 हकत्याग(रिलीजडीड) दिनांक 27.06.2016 से अपीलार्थी के नाम आने से रह गयी थी। रैस्पो0 संख्या 04 रिलीजडीड दिनांक 27.06.2016 से अपने हिस्से की आराजी को अपीलार्थी के हक में हकत्याग कर चुका था और रैस्पो0 संख्या 4 द्वारा हकत्याग की गई आराजी का नामा0 संख्या 587 एवं 776 दिनांक 21.11.2016 से अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं हुए थे। मुताविक राजीनामा नामा0 संख्या 587 दिनांक 21.11.2016 एवं 776 दिनांक 21.11.2016 को

Ram
उपखण्ड अधिकारी
डीग

निरस्त कर पुनः ग्राम पंचायत के लिये रिमाण्ड करने में रैस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सुयोग्य ग्राम पंचायत बंधाचौथ पंचायत समिति डीग के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2016 को स्वीकृत नामा0 संख्या 587 एवं 776 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार डीग को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः—

अपील अपी0 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बंधाचौथ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2016 नामा0 संख्या 587 एवं 776 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार डीग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड) किया जाता है कि अपी0 को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के अनुरूप सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड, रिलीजडीड दिनांक 27.06.2016 तथा अपीलार्थी व रैस्पो0(पक्षकारान) के मध्य हुए राजीनामा दिनांक 12.03.2022 का गहनतापूर्वक अध्ययन कर सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किये जाने के उपरांत विधिनुसार पुनः उचित निर्णय पारित करें।
निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को पालनार्थ प्रेषित हो।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग